



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE,
GANDHINAGAR
सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009
Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स. 36/2017/केन्द्रीय जी.एस.टी.

Trade Notice No.36/2017/GST

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/अधिसूचना/अधिसूचनाओं का प्रेषण।

The following Notifications/Circulars/Orders issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) are enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formations.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है।

क्रम	आदेश/अधिसूचना/परिपत्र सख्या	दिनांक	फा सख्या
1	67/2017 to 70/2017 - Central Tax	21.12.2017	349/58/2017-GST(Pt)
2	71/2017 to 75/2017- Central Tax	29.12.2017	349/58/2017-GST(Pt)
3	01/2018- Central Tax	01.01.2018	354/320/2017-TRU
4	Circular Nos.-22/2017 to 24/2017	21.12.2017	349/58/2017-GST
5	Circular No.25/2017	21.12.2017	275/22/2017-CX.8A
6	Circular No.26/2017	29.12.2017	349/164/2017/-GST
7	Circular No.27/2018	01.01.2018	354/107/2017-TRU

आदेश/परिपत्र/अधिसूचना/ अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट हैं।


Notifications/Circulars are self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्डल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिर्माताओं के ध्यान में ला दें।

All JDC/JAC of CGST, GANDHINAGAR are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge. The above mentioned Notifications/Circulars/Orders may be downloaded from the Government site <http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/index>.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते हैं कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दें।


22.01/18
संयुक्त आयुक्त

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
गांधीनगर

फा.सं. IV/16-21/MP/2017-TN

दिनांक : 09.01.2018

प्रतिलिपि प्रेषित: प्रशासनिक अधिकारी एवं अधीक्षक (प्रणाली) केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को, विभागीय डाक सूची के अनुसार इस आदेश/ परिपत्र/ अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का परिसंचरण करने के लिए।

Copy to:

1. Administrative Officer (ADM), CGST Gandhinagar.
2. The Superintendent, System, H.Q., CGST Gandhinagar to upload on website.